



[01]

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

Phone- 0755-2540590, 405000 Fax-0755-2541376 Email- deangmc_bpl@yahoo.co.in
Website: - www.gmcbhopal.net

क्रमांक...../एम.सी./4/स्था/ राज/2023

भोपाल, दिनांक..... / /2023

// आदेश //

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था भोपाल की चयन समिति द्वारा निम्नांकित विभाग के सीनियर रेसीडेंट के पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से सीमित 01 वर्ष पदावधि (Tenure) हेतु उम्मीदवार को चयनित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उम्मीदवार को सीनियर रेसीडेंट के पद पर निश्चित वेतन रू 80,811/- प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है।

विषय	पद विज्ञापित श्रेणी	चयनित उम्मीदवार का नाम
E.N.T.	UR	डॉ. अंकिता सिंह, पिता- सुरेन्द्र सिंह
ORTHOPEDICS	OBC	डॉ. विजेन्द्र परमार, पिता- धर्मराज सिंह
	ST	डॉ. अमित कुमार टांडिया, पिता- शेषमणि टांडिया
GENERAL SURGERY	UR	डॉ. अजय शर्मा, पिता- सुरेश कुमार शर्मा
		डॉ. शिवांगी पाण्डे, पिता- शिद्धा शरण पाण्डे
	OBC	डॉ. अशोक कुमार राठौर, पिता- रमेश राठौर
	SC	डॉ. शुभ नारायण घनघोरिया, पिता- एल.एन.घनघोरिया
	ST	डॉ. राजेश मईडा, पिता- वाहडिया मईडा
ANESTHESIA (RIRD-02)	ST	डॉ. प्रवीण कनौजे, पिता- प्रताप कनौजे
	SC	डॉ. शुभि कापुस्कर, पिता- महेश कुमार कापुस्कर
	OBC	डॉ. कीर्ती पटेल, पिता- राज नारायण पटेल
	EWS	डॉ. दीपक के. दुबे, पिता- राम कुमार दुबे
CARDIAC ANESTHESIA	UR	डॉ. प्रियल श्रीवास्तव, पिता-अंकुर श्रीवास्तव
	SC	डॉ. शुभि कापुस्कर पिता- महेश कुमार कापुस्कर
	OBC	डॉ. महीदा महमूद अंसारी, पिता- महमूद अहमद अंसारी
CARDIOLOGY	UR	डॉ. अंकुर गुप्ता, पिता- हर्ष गुप्ता
	OBC	डॉ. सुरभी नायक, पिता- श्रीकांत नायक
	SC	डॉ. मोहित भार्गव, पिता- रमेश भार्गव
RADIOTHERAPY	ST	डॉ. प्रियंका कनेल, पिता- वेर सिंह कनेल
	OBC	डॉ. सौरभ तिवारी, पिता- रवि शंकर तिवारी
EMERGENCY MEDICINE	ST	डॉ. कुम्भा गोपी, पिता- कुम्भा ततैह
RADIODIAGNOSIS (RIRD-01)	UR	डॉ. सोनल गुप्ता, पिता- डॉ. कमलेश प्रसाद गुप्ता
	EWS	डॉ. शिवानी रघुवंशी, पिता- शंकर सिंह रघुवंशी
	ST	डॉ. अनिता उइके, पिता- संत कुमार उइके
GASTROENTROLOGY (MEDICINE)	UR	डॉ. बादल गोंडाने, पिता- सुरेन्द्र गोंडाने
	ST	डॉ. यश नागर, पिता- अरुण नागर
MEDICINE (RIRD-02)	UR	डॉ. प्रतीक्षा आर साहू, पिता- राम नारायण साहू
		डॉ. सोनल निहालानी, पिता- संजय निहालानी
	EWS	डॉ. रविनंदन सिंह परिहार, पिता- कृष्णबली सिंह
	OBC	डॉ. प्रियंका मीना, पिता- राजाराम मीना
		डॉ. सचिन पाटीदार, पिता- ध्रुव सिंह पाटीदार

निरंतर पेज-[02]

PEDIATRICS	SC	Dr. V.N.Akshitha Estharla, Father Name- E. Ramesh Babu
RESPIRATORY MEDICINE	UR	डॉ. सौरभ पाण्डे, पिता- देवव्रत पाण्डे
	OBC	डॉ. नासिर खान, पिता- बशीर खान
	EWS	डॉ. शिवांगी गोस्वामी, पिता- आनन्द किशोर गोस्वामी
UROLOGY	UR	डॉ. इतिशा अग्रवाल, पिता- राजीव कुमार गुप्ता
	OBC	डॉ. रोहित यादव, पिता- राजेन्द्र यादव
C.T. SURGERY (RIRD-01)	SC	डॉ. भूमिका अग्रवाल, पिता- एस. के. अग्रवाल
	OBC	डॉ. नेहा ताम्रकार, पिता- दीपक ताम्रकार
PSYCHIATRY	UR	डॉ. मानसी आनन्द, पिता- संजय आनन्द

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनका कार्यभार ग्रहण करना मान्य नहीं किया जायेगा।
- चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के **10 दिवस** में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में सम्बंधित द्वारा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यह नियुक्ति **एक वर्ष** हेतु है, इस नियुक्ति के तहत आवेदक को महाविद्यालय के अंतर्गत किसी भी पद पर नियमित नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी एवं एक वर्ष बाद सेवा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- इस नियुक्ति में अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-42/07/01/55 दिनांक 23.08.2007 के नियमानुसार एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल का पत्र क्र 120/स्था/राज/2021 भोपाल दिनांक 24.12.2021 जूनियर एवं सीनियर रेसिडेन्ट की चयन पद्धति के आरक्षण बिन्दु (III) के अनुसार चयन किया गया।
- यह नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं होगी।
- संस्था के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- इन चिकित्सकों को एक वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी साथ ही उन्हें सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी। पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टिप्पणी पाये जाने पर नियुक्ति बिना सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- रेसीडेंट से संबंधित सभी मामलों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- सीनियर रेसीडेंट को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

14. प्रत्याशी अगर म.प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होंगे।
15. चयनीत प्रत्याशी सीनियर रेसिडेंट की अवांछनीय गतिविधि अनुपस्थिति पर कार्यवाही सीनियर रेसिडेंट सेवा नियम 2020 में लिखित अनुशासन तथा नियंत्रण में उल्लेखित शर्तों के आधार पर की जावेगी।
16. अन्य पिछड़ा वर्ग से चयनित उम्मीवार को वर्ष 2022-23 का आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
17. आर.आई.आर.डी में जिन विषयों (एनेस्थेसिया-02/मेडिसिन-02/रेडियोडायग्नोसिस-01/सी.टी. सर्जरी-01) के पद स्वीकृत हैं उन विषयों के विभागाध्यक्ष सभी सीनियर रेसिडेंट के पूल से निर्धारित संख्या में सीनियर रेसिडेंट को आर.आई.आर.डी में रोस्टरवार पदस्थ करेंगे एवं सीनियर रेसिडेंट उक्त आदेश की पालना करेंगे।
18. प्रशासनिक कारणों से आपकी सेवाये आकस्मिक चिकित्सा विभाग अथवा अन्य विभागों में ली जा सकेगी।
19. मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल से एक माह में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
20. कार्यभार ग्रहण करने के समय पूर्व की संस्था में कार्यरत चिकित्सक द्वारा कार्यमुक्ति आदेश अथवा अनापत्ति प्रमाण जमा करना अनिवार्य है अन्यथा नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

//
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्र. 3725-75 / एम.सी./4/स्था/ राज/2023 भोपाल दिनांक 25/9/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय भोपाल।
3. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्षविभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।
4. अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.।
5. प्रभारी अधिकारी, स्वशासी शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी गांधी, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
7. संबंधित चिकित्सक गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।

SPM
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल